भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4279

19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: एम.एस.पी. के लिए विधिक गारंटी

4279. श्री अमरा रामः

सुश्री महुआ मोइत्राः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय किसान आयोग (स्वामीनाथन आयोग) की सिफारिशों के अनुसार सभी किसानों और सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की विधिक गारंटी प्रदान करने वाला विधान लाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो सभी फसलों के लिए एम.एस.पी. की गारंटी और उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने हेतु विधान लाने की समय-सीमा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो व्यापक क्षेत्रीय असमानताओं के साथ, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उपज के 25% से भी कम भाग को कवर करने वाले खरीद-आधारित तंत्र पर निरंतर निर्भरता के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस बात का आकलन किया है कि एम.एस.पी. गारंटी का अभाव किस प्रकार, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहाँ खरीद न्यूनतम है, कृषि संकट, ऋणग्रस्तता और बिचौलियों द्वारा मूल्य संबंधी शोषण को बढ़ावा दे रहा है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करते हुए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर किसी क्षेत्र या राज्य विशेष के लिए न करके पूरे देश के लिए 22 अधिसूचित कृषि फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर बनाए रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ

सभी अधिसूचित खरीफ, रबी और अन्य व्यावसायिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की, जिससे पूरे देश के किसानों को लाभ हुआ है।

बढ़ी हुई एमएसपी से किसानों को लाभ हुआ है, जो खरीद के आंकड़ों और किसानों को दी गई एमएसपी राशि से स्पष्ट है। चालू वर्ष सहित पिछले पाँच वर्षों के दौरान खरीद और किसानों को दी गई एमएसपी राशि का विवरण निम्नानुसार है।

एमएसपी फसलों की खरीद और एमएसपी राशि

सभी एमएसपी फसलें	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25***
कुल खरीद (एलएमटी में)	1,368	1,083	1,118	1,089	1,175
कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)	2.91	2.25	2.47	2.63	3.33

*दिनांक 30.06.2025 तक की स्थिति के अनुसार

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए 12 जुलाई 2022 को एक समिति का गठन किया गया है। समिति की विषय-वस्तु में (i) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने हेतु व्यावहारिक सुझाव और इसे और अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय, तथा (ii) देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना ताकि घरेलू एवं निर्यात अवसरों का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाकर अधिकतम मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित किया जा सके। इस समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं और अब तक इसकी 6 बैठकें हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न उप-समितियों की 39 बैठकें भी हो चुकी हैं।

(घ): राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) (पूर्ववर्ती योजना आयोग) ने वर्ष 2016 में "किसानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रभावकारिता" शीर्षक से एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन में 14 राज्यों, 36 जिलों, 72 ब्लॉकों, 144 गाँवों और 1440 परिवारों को शामिल किया गया है। यह अध्ययन प्राइमरी और सेकेंड्री दोनों डेटा पर आधारित है। इस अध्ययन में अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ने उक्त अध्ययन में सम्मिलित 78% किसानों को उन्नत कृषि पद्धतियाँ, जैसे उच्च उपज देने वाले बीज, जैविक खाद, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कटाई के उन्नत तरीके आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

******